राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद. / 57526 / 2015 जयपुर, दिनांक : 9 MAY 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड जारी करने एवं नवीनीकरण के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 28.01.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संदर्भित पत्रानुसार स्पष्ट किया जा चुका है कि **जॉबकार्ड जारी किया जाना या नवीनीकरण किया जाना एक सत्त प्रकिया** है। जारी जॉबकार्ड के **पूणरूपेण भर जाने के उपरान्त आवश्कतानुसार नया जॉबकार्ड जारी** किया जा सकता है एवं जॉबकार्ड की मांग किये जाने पर अधिनियम के प्रावधानानुरार जॉबकार्ड जारी किया जा सकता है।

दिनांक 24.05.2016 को आयोजित की गयी विशेष ग्राम सभा में राज्य स्तर पर कार्यरत विभागीय अधिकारियों द्वारा भी भाग लिया गया एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबन्ध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर अधिकतर स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा योजनान्तर्गत नये जॉबकार्ड जारी नही किये जाने के संबन्ध में अवगत कराया साथ ही कार्यो के निरीक्षण के दौरान भी यह स्पष्ट हुआ कि अधिकतर स्थानों पर **श्रमिकों के जॉबकार्ड भर चुके है** परन्तु इनके स्थान पर **नया जॉबकार्ड जारी नही किया** गया है जबकि योजनान्तर्गत जॉबकार्ड एक प्रमुख दस्तावेज है। साथ ही **जॉबकार्ड में रोजगार की मांग का विवरण, कार्य का नाम जिस पर रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा किये गये भुगतान आदि विवरण का इन्द्राज भी नही** किया गया है।

उक्त कृत्य ना केवल विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है अपितु महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में श्रमिकों को दिए गए अधिकारों का भी हनन है। अतः इस संबन्ध में पुनः **निर्देशित** किया जाता है कि नये जॉबकार्ड के लिए आवेदन किये जाने पर अधिनियम के प्रावधानानुसार जॉबकार्ड जारी किया जावे तथा जॉबकार्ड **के भर जाने अथवा फट जाने की स्थिति में नया जॉबकार्ड तुरन्त जारी किया** जावे। जॉबकार्ड के नवीनीकरण की स्थिति में यह ध्यान रखा जावे कि **जॉबकार्ड का नम्बर में परिवर्तन नही** किया जावे। इसके अतिरिक्त **जॉबकार्ड में निर्धारित सभी प्रविष्टियां आवश्यक** रूप से की जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी संबन्धित को आपकी तरफ से भी निर्देश जारी किये जावे एवं इसकी मॉनिटरिंग आपके स्तर पर तथा विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावे। अवहेलना करने वाले कार्मिकों पर अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जावे।

भवदीय

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

09/05/16

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस